भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 186

गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>किसानों हेतु विद्युत उत्पादन योजना</u>

186. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

श्री विनायक भाजऊराव राऊत: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सस्ती और सुलभ विद्युत उत्पादन योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत किसानों से पट्टे पर ली जाने वाली भूमि के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या किसानों ने उक्त योजना में रूचि दिखाई है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इसके अंतर्गत उन किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई है जिनके पास कम भूमि है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): महाराष्ट्र सहित देशभर में किसानों को सस्ती और सुलभ विद्युत प्रदान करने के लिए मार्च, 2019 में प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना शुरू की गई थी और नवंबर, 2020 में इसका दायरा बढ़ाया गया। यह योजना मांग आधारित है और क्षमता का आवंटन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है। इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैः

(i) घटक 'क': किसानों की बंजर/परती जमीन पर 2 मेगावाट तक की क्षमता के प्रत्येक लघु सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके 10 गीगावाट क्षमता;

(ii) घटक 'ख': 20 लाख स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंप की स्थापना; और

(iii) घटक 'ग': फीडर स्तरीय सौरीकरण करके 15 लाख मौजूदा ग्रिड-कनेक्टिड कृषि पंपों का सौरीकरण।

दिनांक 30.06.2023 की स्थिति के अनुसार, घटक 'क' के तहत कुल 113.08 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है और घटक 'ख' और घटक 'ग' के तहत संयुक्त रूप से 2.45 लाख पंप स्थापित/सौरीकृत किए गए हैं। पीएम कुसुम योजना के कार्यान्वयन के लिए घटक-वार मानदंड अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ग) पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों से पटटे पर ली गई भूमि के लिए कीमत निर्धारित नहीं की जाती। हालांकि, दिनांक 12.07.2023 को संशोधित योजना दिशानिर्देशों के तहत राज्यों को योजना के घटक 'ग' के लिए जमीन की लीज की दर घोषित करने की अनुमति है।

(घ) से (च): किसानों और राज्यों सरकारों द्वारा योजना में रुचि दिखाना इस बात से दिखाई देता है कि घटक 'क' के तहत 4716 मेगावाट की मंजूरी दी गई, घटक 'ख' के तहत 9.47 लाख से अधिक पंप स्वीकृत किए गए और घटक 'ग' के तहत एफएलएस के लिए लगभग 23.27 लाख पंप मंजूर किए गए।

योजना में घटक 'क' के तहत किसानों की बंजर/परती भूमि पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों के स्थापना की अनुमति है। हालांकि, छोटे किसानों की सहायता के लिए घटक- 'क' के तहत तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर 500 किलोवाट से छोटे सौर विद्युत संयंत्रों की अनुमति है।

अनुलग्नक

'किसानों हेतु विद्युत उत्पादन योजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 20.07.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 186 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम-कुसुम योजना के घटक-वार मानदंड

घटक, लक्ष्य और मानदंड	उपलब्ध वित्तीय सहायता
यह योजना, मांग आधारित है और योजना के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन हेतु देश के सभी किसानों के लिए सुलभ है। घटक-क: किसानों की बंजर/परती/चारागाह/ दलदली/कृषि योग्य भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना। ऐसे संयंत्र व्यक्तिगत किसानों, सौर विद्युत डेवलपर, सहकारी समितियों, पंचायतों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। घटक-ख: ऑफग्रिड क्षेत्रों में 20 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना। घटक-ग: (i) व्यक्तिगत पंप सौरीकरण (ii) फीडर स्तरीय सौरीकरण के जरिए 15 लाख ग्रिड-संबद्ध कृषि पंपों का सौरीकरण। घटक 'ख' और घटक 'ग' के तहत लाभार्थी व्यक्तिगत किसान, जल प्रयोक्ता संघ, प्राथमिक कृषि साख समिति और समुदाय/ क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणालियां हो सकते हैं।	इस योजना के तहत सौर/अन्य अक्षय विद्युत की खरीद के लिए डिस्कॉमों को 40 पैसे प्रति किलोवाट घंटे की दर से या 6.60 लाख रु. प्रति मेगावाट प्रति वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। यह पीबीआई संयंत्र की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉमों को दिया जाता है। इस प्रकार, डिस्कॉमों को देय कुल पीबीआई प्रति मेगावाट 33 लाख रु. है। घटक-ख और घटक-ग के तहत व्यक्तिगत पंप का सौरीकरण: एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत अथवा निविदा में तय की गई प्रणालियों की कीमत, जो भी कम हो, का 30 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। तथापि, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत अथवा निविदा में तय की गई प्रणालियों की कीमत, जो भी कम हो, का 50 प्रतिशत सीएफए दी जाती है। इसके अंतिरिक्त संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कम-से-कम 30 प्रतिशत वित्तीय सहायता देनी होती है। लाभार्थी को शेष लागत का अंशदान करना होता है। कृषि फीडर के सौरीकरण के लिए 1.05 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। भाग लेने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से वित्तीय सहायता की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। केपेक्स अथवा रेस्को मोड में फीडर सौरीकरण किया जा सकता है।

*****